

राजस्थान प्रशासनिक राज्य

श्रीमती गायत्री  
प्रजापति  
कोटा जिले

सरकार के आदेशानुसार विधायी  
अज्ञान चक्रवर्ती को शीघ्र निस्तारण  
कर पदाधारान को शीघ्र पुनर्स्थापित करने  
के लिए जे.डी. सिंह सहाय को पद के द्वारा मन्त्र  
2018 के लक्षण 200 को का के रूप में  
काल में सेवा में सरकारी पर मेरे  
समक्ष पेश हुई बाकीगन को जल्दी  
नोटिस कदम लीजिए तथा प्रतिवादीगन  
को नोटिस आबाद मजान पर चरख  
होने को निर्धारण पालन करने को  
आज्ञा किया

जे.डी. सिंह

विधायी चक्रवर्ती सुनवाई  
के दौरान बाकी व प्रतिवादी ने सुप्रीम  
दस्तावेज प्रमाण विधायी वाद को  
विद्रोह करने संबंधी रिपोर्ट पेश  
की है जिससे आज्ञा किया गया  
बाकी अज्ञानपाल को पदच्युत संबंधित  
पुलवारी इलाका सरकारी जे.डी. सिंह  
जैसे हुआ प्रतिवादी मंगल सिंह  
कारण को पदच्युत संबंधित चक्रवर्ती  
की राजेन्द्रपुरी ने की है

बाकी व प्रतिवादीगन ने गफल  
वाद को विद्रोह करने संबंधित रिपोर्ट  
के साथ विज्ञापन लेख के 17-5-2018  
की पुलिस को पेश कर निवेदन किया कि  
उपरोक्त अज्ञान वाद में वाद प्रस्ताव  
क्रिचनू में बाकी द्वारा प्रतिवादी के हक  
में विज्ञापन विज्ञापन निवेदन पर उपरोक्त  
कार्यालय को ज्ञात की गई है कि वाद को  
विषय है जिससे जब बाकी को उक्त  
हक कारणों से बाकी को हक हक  
हक सब जगह प्रदा की बाकी द्वारा  
प्रतिवादी को हक कारणों के बाद करने  
से सब बाकी मुफ्त वाद को आगे  
जाही बचाना चाहते हैं कि बाकी  
को यह वाद जारी है कि इलाका प्रशासन  
कराना करमा है

अतः विधायी चक्रवर्ती वाद  
उपरोक्तानुसार बाकी द्वारा विद्रोह करने  
के चक्रवर्ती को जगह होने से जारी  
विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन को रोकना